भारत सरकार

पंचायती राज मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं.1601

दिनांक 28.07.2026 को उत्तरार्थ

पंचायती राज संस्थाओं को निधि

†1601. डॉ. मल्लू रविः

क्या **पंचायती राज मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने नवीनतम विकेंद्रीकरण सूचकांक और पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स (पीएआई) 2.0 के निष्कर्षों के मद्देनजर पंचायती राज संस्थाओं को निधि, कार्य और कार्मिक (3एफ) के हस्तांतरण की स्थिति की समीक्षा की है;

(ख) क्या सरकार ने तेलंगाना सहित कई राज्यों में अपर्याप्त कार्यकरण और वित्तीय हस्तांतरण, राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों पर अमल में देरी तथा ग्राम सभा की कमजोर भागीदारी के कारणों का आकलन किया है;

(ग) क्या सरकार ने स्थानीय योजना, केंद्र प्रायोजित योजनाओं के कार्यान्वयन और सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति पर इन कमियों के प्रभाव का परीक्षण किया है; और

(घ) क्या सरकार का पंचायती राज संस्थाओं के वित्तीय विकेंद्रीकरण, डिजिटल शासन और जवाबदेही को मजबूत करने के लिए कार्यनिष्पादन-आधारित प्रोत्साहन और एक राष्ट्रीय रूपरेखा शुरू करने का विचार है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पंचायती राज मंत्री

(श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह)

(क) और (ख) भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की राज्य सूची के संदर्भ में "पंचायत", 'स्थानीय सरकार" होने के कारण राज्य का विषय है। पंचायतों को राज्यों के पंचायती राज अधिनियमों के अंतर्गत स्थापित और संचालित किया जाता है। संविधान के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, राज्यों ने अपने अलग-अलग पंचायती राज अधिनियम बनाए हैं।

हालांकि, पंचायती राज मंत्रालय समय-समय पर अध्ययनों, समीक्षा बैठकों, क्षेत्रों के दौरे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, सूचना प्रोद्योगिकी अनुप्रयोगों, आदि के माध्यम से, पंचायतों के कार्य निष्पादन की समीक्षा करता रहता है।

जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को सुदृढ़ बनाने में स्थानीय सरकारों की भूमिका और अंतरण की प्रभावकारिता का आकलन करने के लिए, पंचायती राज मंत्रालय ने फरवरी, 2025 में "राज्यों में पंचायतों को अंतरण की स्थिति-एक सांकेतिक साक्ष्य आधारित रैंकिंग, 2024" नामक शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है। यह रिपोर्ट अंतरण सूचकांक को प्रस्तुत करती है, जोकि संविधान के भाग-9 के अंतर्गत आने वाले सभी राज्यों/ संघ राज्यों क्षेत्रों को, चिन्हित किए गए छः आयामों, अर्थात् रूपरेखा, कार्य, वित्त, पदाधिकारी, क्षमता में वृद्धि और जवाबदेही के आधार पर उनको समग्र स्कोर और रैंक प्रदान करती है। इस रिपोर्ट से पता चलता है कि 2013-14 से 2021-22 के बीच अंतरण सूचकांक का दायरा 39.9% से बढ़कर 43.9% हो गया है। अंतरण सूचकांक और उप-सूचकांकों में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की रैंकिंग **अनुबंध -I** में संलग्न है।

इसके अलावा, इस मंत्रालय ने 'पंचायत उन्नति सूचकांक' (पीएआई) भी विकसित किया है जोकि एक संयुक्त मूल्यांकन ढांचा है, जिसका उद्देश्य 'सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण' (एलएसडीजी के अनुरूप नौ थीमों पर ग्राम पंचायतों या उनके समकक्ष निकायों के कार्यनिष्पादन को मापना है। पीएआई के तहत, पंचायतों को इन नौ थीमों में से प्रत्येक के लिए स्कोर दिया जाता है, साथ ही एक समग्र/संयुक्त स्कोर भी दिया जाता है। इस सूचकांक का उद्देश्य निधियों और योजनाओं के अभिसरण के माध्यम से स्थानीय कार्य-योजनाएं बनाकर साक्ष्य-आधारित योजना तैयार करने में ग्राम पंचायत की सहायता करना है।

मंत्रालय ने "राज्य वित्त आयोगों के लिए डेटासेट पर रिपोर्ट" भी जारी की है जिसमें इस बात को रेखांकित किया गया है कि स्थानीय स्तर के असंकलित आँकड़ों की सीमित उपलब्धता, विखंडित आँकड़ों की व्यवस्था जो साक्ष्य- आधारित वित्तीय विश्लेषण में बाधा डालती है, एकीकृत खातों की कमी आदि राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों पर अमल में देरी का कारण बनते हैं।

इस मंत्रालय ने "राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में ग्राम सभा में अल्प भागीदारी पर एक राष्ट्रीय अध्ययन रिपोर्ट" भी जारी की है। यह रिपोर्ट अल्प भागीदारी के लिए जिम्मेदार कई व्यवस्थागत और परिचालन संबंधी बाधाओं जैसे आजीविका और व्यावसायिक बाधाएँ, पहले से प्रचार-प्रसार की कमी, असुविधाजनक कार्यक्रम बनाना, और महिलाओं तथा उपेक्षित समुदायों का अपर्याप्त प्रतिनिधित्व आदि, को उजागर करती है|

(ग) जी हाँ, महोदय। इस मंत्रालय ने स्थानीय स्तर पर योजना बनाने, केंद्र-प्रायोजित योजनाओं को लागू करने और 'सतत विकास लक्ष्यों' (एसडीजी) को हासिल करने पर संस्थागत और क्षमता संबंधी कमियों के असर का आकलन करने के लिए, 'संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान' (आरजीएसए) की केंद्र-प्रायोजित योजना का स्वतंत्र तृतीय पक्ष मूल्यांकन करवाया है जिसे 'इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट आनंद (आईआरएमए)' ने किया है। इस मूल्यांकन में पंचायती राज संस्थाओं के लिए क्षमता-निर्माण के तहत किए गए, कार्यों के डिज़ाइन, उन्हें लागू करने की रणनीतियों, नतीजों और उनके असर का आकलन किया गया है। नतीजों से पता चलता है कि व्यवस्थित और बहु-स्तरीय क्षमता-निर्माण की कोशिशों, जैसे कि अध्ययन कक्ष, विषयगत प्रशिक्षण, क्षेत्रीय दौरे तथा डिजिटल शिक्षण, ने ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) तैयार करने, केंद्र प्रायोजित योजनाओं को लागू करने, डिजिटल गवर्नेंस, वित्तीय प्रबंधन और नागरिकों की भागीदारी के मामलों में पंचायती राज संस्थाओं की क्षमताओं को काफी बढ़ाया है।

(घ) जी हाँ, महोदय। 16वें वित्त आयोग (वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2030 -31) ने निष्पादन अनुदान के रूप में 87,048 करोड़ रुपयों की अनुशंसा की है। इन निष्पादन अनुदानों को दो घटकों में विभाजित किया गया है – (i) स्थानीय निकाय निष्पादन अनुदान, जो ग्रामीण स्थानीय निकायों द्वारा उत्पन्न और संवर्धित स्व-स्रोत राजस्व की मात्रा के आधार पर जारी किया जाएगा और (ii) राज्य निष्पादन अनुदान, जो राज्य द्वारा अपने संसाधनों से हस्तांतरित निधि की मात्रा पर निर्भर करेगा।

पंचायती राज संस्थाओं के वित्तीय विकेंद्रीकरण, डिजिटल शासन और जवाबदेही को मजबूत करने के लिए, यह मंत्रालय, संशोधित आरजीएसए के अंतर्गत ई-पंचायत मिशन मोड परियोजना (एमएमपी) को लागू कर रहा है, जिससे जमीनी स्तर पर पारदर्शिता, दक्षता और शासन में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। ई-पंचायत एमएमपी के अंतर्गत विकसित ई-ग्रामस्वराज एप्लिकेशन ने पंचायत स्तर पर डिजिटल योजना, लेखांकन, निगरानी और ऑनलाइन भुगतान को सुगम बनाया है। ई-ग्रामस्वराज का सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के साथ एकीकरण विक्रेताओं और सेवा प्रदाताओं को वास्तविक समय में भुगतान को सक्षम बनाता है, जिससे धन का सुचारू प्रवाह सुनिश्चित होता है और विलंब कम होता है। मंत्रालय ने अन्य राष्ट्रीय डिजिटल प्लेटफार्मों के साथ एकीकरण के माध्यम से ई-ग्रामस्वराज प्लेटफॉर्म को मजबूत किया है। सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जीईएम) के साथ एकीकरण ग्राम पंचायतों द्वारा पारदर्शी, कुशल और नियम-आधारित खरीद की सुविधा प्रदान करता है।

इसके अलावा, पंचायत खातों और उनके वित्तीय प्रबंधन के ऑनलाइन ऑडिट के लिए 'ऑडिटऑनलाइन' नामक एक एप्लिकेशन विकसित किया गया है। पंचायतों के वित्तीय प्रबंधन को सुदृढ़ करने हेतु केंद्रीय वित्त आयोग निधि के उपयोग के पारदर्शी ऑडिट के लिए ऑडिटऑनलाइन को अप्रैल 2020 में लॉन्च किया गया था।

इसके अतिरिक्त, मंत्रालय द्वारा विकसित 'मेरी पंचायत' जैसे एप्लिकेशन ने पंचायत प्रशासन में पारदर्शिता लाने का प्रयास किया है, जिसके तहत पंचायतों की योजना, गतिविधियों और कार्यों की प्रगति से संबंधित जानकारी

जनता तक पहुंचाई जाती है। इसी प्रकार, 'पंचायत निर्णय (NIRNAY) एक ऑनलाइन एप्लिकेशन है जिसका उद्देश्य पंचायतों द्वारा ग्राम सभाओं के संचालन में पारदर्शिता और बेहतर प्रबंधन लाना है।

अनुबंध-I

दिनांक 28.07.2026 को उत्तरार्थ लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1601 के उत्तर के भाग (क) और (ख) में संदर्भित अनुबंध

अंतरण सूचकांक (डीआई) और उप-सूचकांक में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की रैंकिंग

श्रेणी	डीआई		रूपरेखा		कार्य		वित्त		पदाधिकारियों		क्षमतानिर्माण		जवाबदेही	
	राज्य	अंक	राज्य	अंक	राज्य	अंक	राज्य	अंक	राज्य	अंक	राज्य	अंक	राज्य	अंक
सामान्यश्रेणीकेराज्य														
1	कर्नाटक	72.23	केरल	83.56	तमिलनाडु	60.24	कर्नाटक	70.65	गुजरात	90.94	तेलंगाना	86.19	कर्नाटक	81.33
2	केरल	70.59	महाराष्ट्र	74.74	कर्नाटक	57.62	केरल	62.89	तमिलनाडु	84.25	तमिलनाडु	84.29	केरल	81.18
3	तमिलनाडु	68.38	कर्नाटक	74.43	ओडिशा	57.46	तमिलनाडु	55.78	केरल	82.99	गुजरात	83.96	महाराष्ट्र	80.36
4	महाराष्ट्र	61.44	हरियाणा	73.3	राजस्थान	56.13	राजस्थान	54.56	कर्नाटक	80.11	गोवा	77.7	उत्तर प्रदेश	76.07
5	उत्तरप्रदेश	60.07	मध्यप्रदेश	70	केरल	53.86	ओडिशा	53.57	छत्तीसगढ	78.33	आंध्र प्रदेश	76.69	तमिलनाडु	71
6	गुजरात	58.26	ओडिशा	69.2	उत्तर प्रदेश	46.89	पश्चिम	52.9	बिहार	75.1	उत्तर	74.4	आंध्र	60.4

							बंगाल	6		3	प्रदेश	4	प्रदेश	9
7	राजस्थान	56.67	राजस्थान	68.54	महाराष्ट्र	46.52	उत्तर प्रदेश	51.76	महाराष्ट्र	73.63	महाराष्ट्र	73.35	तेलंगाना	60.43
8	पश्चिमबंगाल	56.52	छत्तीसगढ	68.51	छत्तीसगढ	42.39	छत्तीसगढ	51.45	आंध्र प्रदेश	68.78	कर्नाटक	71.59	छत्तीसगढ	58.17
9	छत्तीसगढ	56.26	तमिलनाडु	66.83	गुजरात	41.23	तेलंगाना	46.86	पश्चिम बंगाल	67.76	केरल	71.11	पश्चिम बंगाल	57.87
10	तेलंगाना	55.1	पश्चिम बंगाल	62.3	मध्यप्रदेश	39.47	बिहार	43.86	राजस्थान	64.03	पश्चिम बंगाल	70.63	ओडिशा	51.92
11	आंध्रप्रदेश	54.43	गुजरात	61.65	तेलंगाना	38.77	आंध्र प्रदेश	43.19	उत्तर प्रदेश	63.13	मध्यप्रदेश	70	बिहार	51.64
12	मध्यप्रदेश	50.94	आंध्र प्रदेश	60.08	पश्चिम बंगाल	33.07	महाराष्ट्र	42.96	मध्यप्रदेश	62.22	राजस्थान	61.43	गुजरात	47.9
13	ओडिशा	50.03	उत्तर प्रदेश	54.64	पंजाब	31.97	मध्यप्रदेश	42.34	तेलंगाना	58.01	बिहार	55.27	हरियाणा	41.93
14	बिहार	48.24	गोवा	52.88	आंध्र प्रदेश	30.5	गुजरात	41.63	गोवा	46.31	छत्तीसगढ	47.61	राजस्थान	41.43
15	हरियाणा	39.33	बिहार	49.76	झारखंड	27.56	हरियाणा	40.38	हरियाणा	38.48	ओडिशा	43.43	मध्यप्रदेश	36.55
16	गोवा	37.71	पंजाब	47.26	बिहार	18.69	पंजाब	36.3	झारखंड	27.8	हरियाणा	35.3	गोवा	31.7

								6		3		5		5
17	पंजाब	29.34	तेलंगाना	45.35	हरियाणा	16.82	झारखंड	30.05	ओडिशा	27.42	पंजाब	26.34	पंजाब	24.87
18	झारखंड	27.73	झारखंड	42.3	गोवा	6.63	गोवा	26.88	पंजाब	8.2	झारखंड	24.72	झारखंड	16.47
पूर्वोत्तर / पहाड़ीक्षेत्रकेराज्य														
1	त्रिपुरा	57.58	उत्तराखंड	70.95	सिक्किम	42.59	त्रिपुरा	59.16	हिमाचल प्रदेश	70.06	हिमाचल प्रदेश	83.68	त्रिपुरा	70.69
2	हिमाचलप्रदेश	53.17	त्रिपुरा	66.5	असम	28.66	हिमाचल प्रदेश	48.41	असम	65.12	त्रिपुरा	76.82	असम	57.14
3	उत्तराखंड	49.11	सिक्किम	65.27	हिमाचल प्रदेश	23.01	उत्तराखंड	47.11	उत्तराखंड	60.49	असम	71.96	उत्तराखंड	52.72
4	असम	49.06	हिमाचल प्रदेश	62.22	त्रिपुरा	21.5	सिक्किम	43.5	त्रिपुरा	52.22	उत्तराखंड	56.02	हिमाचल प्रदेश	39.41
5	सिक्किम	43.81	असम	54.04	उत्तराखंड	16.68	असम	34.06	सिक्किम	31.42	सिक्किम	53.23	सिक्किम	34.94
6	अरुणाचलप्रदेश#	17.96	अरुणाचल प्रदेश#	41.5	अरुणाचल प्रदेश#	12.7	मणिपुर#	13.17	मणिपुर#	21.4	अरुणाचल प्रदेश#	37.4	मणिपुर#	28.75
7	मणिपुर#	17.13	मणिपुर#	34.05	मणिपुर#	11.2	अरुणाच	6.83	अरुणाच	5.74	मणिपुर#	3.75	अरुणाच	22.5

						3	ल प्रदेश#		ल प्रदेश#				ल प्रदेश#	6
संघ राज्य क्षेत्र														
1	जम्मूऔरकश्मीर	27.85	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	55.21	जम्मू और कश्मीर	11.88	पुदुचेरी	16.16	लक्षद्वीप#	39.53	जम्मू और कश्मीर	55.08	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	45.73
2	अंडमानऔरनिकोबारद्वीपसमूह	27.15	लक्षद्वीप#	31.42	लद्दाख	11.08	जम्मू और कश्मीर	13.29	जम्मू और कश्मीर	36.97	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	54.82	जम्मू और कश्मीर	39.76
3	लक्षद्वीप#	18.32	जम्मू और कश्मीर	23.07	लक्षद्वीप#	10.36	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	9.09	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव#	31.69	लद्दाख	29.32	पुदुचेरी	29.33
4	लद्दाख	16.18	लद्दाख	22.21	पुदुचेरी	4.63	दादरा और नगर हवेली	5.45	लद्दाख	25.25	लक्षद्वीप#	15.18	लक्षद्वीप#	28.13

							और दमन और दीव#							
5	पुदुचेरी	16.16	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव#	22.06	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	4.5	लक्षद्वीप#	3.99	पुदुचेरी	21.49	पुदुचेरी	13.75	लद्दाख	27.43
6	दादराऔरनगरहवेलीऔरदमनऔर दीव#	13.62	पुदुचेरी	9.31	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव#	0	लद्दाख	0	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	20.94	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव#	8.57	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव#	24.91
	राष्ट्रीयऔसत	**43.89**		**54.29**		**29.18**		**37.04**		**50.96**		**54.63**		47.51

स्रोत:"राज्यों में पंचायतों को अंतरण की स्थिति-एक सांकेतिक साक्ष्य आधारित रैंकिंग, 2024" नामक शीर्षक से रिपोर्ट

नोट: #वे राज्य जिनके लिए पिछले आँकड़े इस्तेमाल किए गए हैं।